मध्यप्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचदश विधान सभा एकादश सत्र

मार्च, 2022 सत्र

सोमवार, दिनांक 7 मार्च, 2022

(16 फाल्गुन, शक संवत् 1943)

[खण्ड- 11] [अंक- 1]

मध्यप्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 7 मार्च, 2022

(16 फाल्गुन, शक संवत् 1943)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00बजे समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.}

राष्ट्रगीत "वन्दे मातरम्" का समूह गान

अध्यक्ष महोदय -- अब, राष्ट्रगीत "वन्दे मातरम्" होगा.

सदस्यों से अनुरोध है कि वे कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं.

(सदन में राष्ट्रगीत "वन्दे मातरम्" का समूह गान किया गया.)

अब, सदन राज्यपाल महोदय के आगमन की प्रतीक्षा करेगा.

(सदन द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय के आगमन की प्रतीक्षा की गई.)

11.11 बजे

(माननीय राज्यपाल महोदय का सदन में चल समारोह के साथ आगमन हुआ)

11.12

राज्यपाल महोदय का अभिभाषण

राज्यपाल महोदय (श्री मंगुभाई पटेल) --

माननीय अध्यक्ष एवं माननीय सदस्यगण,

1. सभी सम्माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत।
2. पन्द्रहवीं विधानसभा के चौथे बजट सत्र में सदन को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत सुखद अनुभूति हो रही है। भारत की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में, मैं स्वाधीनता संघर्ष के सभी ज्ञात-अज्ञात नायकों के अमर बलिदानों का पुण्य-स्मरण कर उन्हें शत-शत नमन करता हूँ। आजादी के अमृत-काल में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में विश्व-पटल पर इक्कीसवीं सदी के आत्म-निर्भर भारत का उदय हो रहा है। "सबका- साथ – सबका विकास – सबका प्रयास-सबका विश्वास" ही भारत- मंत्र बन गया है। मेरी सरकार, राज्य के साढ़े आठ करोड़ नागरिकों के सहयोग से समृद्ध, विकसित और आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण के लिए कृत-संकल्पित होकर कार्य कर रही है।
3. कोविड–19 इस सदी की सबसे घातक महामारी के रूप में सामने आई है और इसने सम्पूर्ण विश्व की अर्थ- व्यवस्था, राज–व्यवस्था, कार्य करने के तरीकों और जीवन–शैली को प्रभावित किया है। ये इस देश की मिट्टी और 130 करोड़ जनता की ताकत ही है कि जब-जब भी हम पर किसी प्रकार का संकट

आया है, तब-तब भारत उस संकट के सामने मज़बूर नहीं, बल्कि और मज़बूत होकर उभरा है।

4. माननीय प्रधानमंत्री जी के सतत और सक्रिय मार्गदर्शन में देश ने कोरोना की तीन लहरों का न केवल डटकर मुकाबला किया, बल्कि इस आपदा को राष्ट्र के नवनिर्माण के अवसर में बदल दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने "सबको वैक्सीन–मुफ्त वैक्सीन" लगवाने का जो दूरदर्शी और जन-हितैषी निर्णय लिया, वही आज सुरक्षा–कवच बनकर करोड़ों भारतीयों के प्राणों की रक्षा कर रहा है। देश भर में अभियान के रूप में कोविड टीकाकरण होने से कोरोना की तीसरी लहर, कहर नहीं बन पायी। ये इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि जब देश का नेतृत्व करने वाले हौसले के साथ फैसले लेते हैं, तो जन-जन की जिंदगी बदल जाती है।

5. मध्यप्रदेश में मेरी सरकार ने जहाँ एक ओर कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के सभी संभव उपाय किये, वहीं दूसरी ओर अर्थ-व्यवस्था को भी पटरी से नहीं उतरने दिया। सरकार ने जितनी चिंता कोविड-रोकथाम, कोविड–अनुकूल व्यवहार और अस्पताल-प्रबंधन के लिए की, उतनी ही चिंता गरीब की रोजी-रोटी, बच्चों की शिक्षा, युवाओं के रोज़गार, विकास के काम और जन–कल्याण की योजनाओं को धरातल पर उतारने की भी की। यही कारण है कि विगत लगभग दो वर्ष में कोविड की

कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए भी मध्यप्रदेश तेजी से आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर और अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है।

6. लोकतंत्र की सार्थकता "जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन" में निहित है और मेरी सरकार ने इसे सही मायने में चरितार्थ करके दिखाया है। नीति निर्माण से लेकर निर्णय लेने तक और निर्णयों के क्रियान्वयन से लेकर सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग तक–हर क्षेत्र में जनता की भागीदारी और जनता के सहयोग ने सफलता का एक नया इतिहास रच दिया है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स के माध्यम से कोरोना–प्रबंधन, मैं कोरोना वालेंटियर अभियान, युवा शक्ति–कोरोना मुक्ति अभियान, योग से निरोग कार्यक्रम, ऊर्जा साक्षरता अभियान, अंकुर कार्यक्रम, एडॉप्ट एन आँगनवाड़ी अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश रोडमैप निर्माण, बजट निर्माण और आनंदकों के सहयोग से आनंद गतिविधियों का आयोजन आदि अनेक कार्यों में मध्यप्रदेश में जनता की सक्रिय भागीदारी ने असंभव को भी संभव कर दिखाया है। मेरी सरकार ने लोक और तंत्र की सहभागिता से सरकार के संचालन का एक अभिनव मॉडल पूरे देश के समक्ष प्रस्तुत किया है।

7. मेरी सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2024-25 तक देश की अर्थ-व्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर पहुँचाने के लक्ष्य की पूर्ति में अपना अधिकतम योगदान देने के लिए कृत-संकल्पित है। इस वर्ष प्रदेश का राज्य सकल घरेलू उत्पाद 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक होना संभावित है, जो प्रदेश के इतिहास में एक नया अध्याय है।

8. मेरी सरकार ने अर्थ-व्यवस्था को गति देने के लिए अधोसंरचनात्मक पूँजीगत कार्यों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया है। इस वित्त वर्ष की प्रथम छःमाही में प्रदेश का पूँजीगत व्यय पिछले दो वर्ष की तुलना में क्रमशः 40 एवं 96 प्रतिशत अधिक रहा है। मेरी सरकार के प्रयासों से प्रदेश में जीएसटी पंजीयत करदाताओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। जीएसटी करदाताओं से विवरणी प्रस्तुत कराने में प्रदेश, देश के प्रथम पाँच राज्यों में है।

9. भौतिक अधोसंरचना का सतत विकास राज्य की प्रगति का प्रतिबिम्ब है। मेरी सरकार आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण के प्रमुख स्तम्भ के रूप में अधोसंरचना-विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। ग्वालियर – चम्बल क्षेत्र के लिए वरदान 309 किलोमीटर लम्बाई के अटल प्रगति-पथ और प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र को पश्चिमी क्षेत्र से जोड़ने वाले 906 किलोमीटर लम्बाई के

नर्मदा प्रगति-पथ का निर्माण प्रदेश के सर्वांगीण विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

10. मेरी सरकार का विगत लगभग 2 वर्ष का कार्यकाल सड़क अधोसंरचना के विकास की दृष्टि से स्वर्णिम रहा है। इस अवधि में भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश में 3 हजार 251 किलोमीटर लंबाई के 26 हजार 222 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाले 90 मार्ग स्वीकृत हुए हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा 379 किलोमीटर लंबाई की 5 हजार 301 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 6 नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियाजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है। मेरी सरकार सड़क मार्गों के निर्माण के साथ–साथ उनके संधारण पर भी विशेष ध्यान दे रही है। सड़क–सुरक्षा हेतु सड़कों के ब्लैक स्पॉट्स का ट्रीटमेंट प्राथमिकता पर किया जा रहा है। प्रदेश के प्रमुख 200 मार्गों का आधुनिक यातायात सर्वेक्षण और सभी टोल प्लाजा को कम्प्यूटरीकृत एवं स्वचालित करने की कार्यवाही की जा रही है।

11. मेरी सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों की गुणवत्ता में मध्यप्रदेश, देश में

प्रथम स्थान पर तथा सड़कों की लंबाई में देश के प्रथम 7 राज्यों में सम्मिलित है।

12. मेरी सरकार विद्युत क्षेत्र के विकास और विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है। भविष्य की विद्युत मांग की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अति उच्च दाब उप केन्द्रों एवं उससे संबंधित लाइनों का निर्माण किया जा रहा है। अमरकंटक ताप विद्युत गृह में 4 हजार 666 करोड़ रुपये की लागत से 660 मेगावॉट क्षमता की नई इकाई की स्थापना प्रस्तावित है। भारत सरकार की रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम में प्रदेश में वर्ष 2025-26 तक 15 हजार 434 करोड़ रुपये के कार्य किए जाने का लक्ष्य है। फ्लेट दरों पर विद्युत प्रदाय से साढ़े 22 लाख कृषि उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं। एक हेक्टेयर तक की भूमि एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले अनुसूचित जाति-जनजाति के 8 लाख कृषि उपभोक्ताओं को निःशुल्क विद्युत प्रदाय किया जा रहा है।

13. मेरी सरकार गैर पारम्परिक ऊर्जा एवं नवकरणीय ऊर्जा के सुनियोजित विकास के लिए संकल्पित है। प्रदेश की नवकरणीय ऊर्जा की क्षमता 5 हजार 100 मेगावॉट हो गई है। इस वर्ष 1 हजार 500 मेगावॉट की आगर-शाजापुर-नीमच सोलर पार्क परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया है। सागर में 1 हजार 500 मेगावॉट क्षमता के सोलर पार्क के लिए भूमि

चिन्हित कर ली गई है। ओंकारेश्वर में 3 हजार करोड़ की लागत की विश्व की सबसे बड़ी 600 मेगावॉट क्षमता की सोलर फ्लोटिंग परियोजना के लिए 2 हजार हेक्टेयर जल-क्षेत्र चिन्हांकित कर लिया गया है। रुपए 4 हजार करोड़ की लागत की 750 मेगावॉट क्षमता की पवन सोलर हाइब्रिड परियोजना की कार्यवाही प्रक्रिया में है। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना में जुलाई, 2023 तक 45 हजार नग सोलर पंप की स्थापना का लक्ष्य है। ऊर्जा साक्षरता अभियान प्रारंभ कर विद्यार्थियों और सभी नागरिकों को ऊर्जा उत्पादन, नवकरणीय ऊर्जा एवं ऊर्जा बचत की जानकारी दी जा रही है।

14. हर घर तक नल से शुद्ध पेयजल पहुँचे, यह मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। अप्रैल, 2020 की स्थिति में प्रदेश में 17 लाख 72 हजार यानी 14.5 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध था, लेकिन वर्तमान में 47 लाख 15 हजार यानी 38.55 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल का शुद्ध जल उपलब्ध होने लगा है। अब तक प्रदेश के 4 हजार 85 ग्रामों के शत- प्रतिशत घरों में नल से जल पहुँचाया जा चुका है। वर्ष 2021-22 में जल जीवन मिशन में राशि उपयोग में मध्यप्रदेश,देश में दूसरे स्थान पर है तथा हर घर जल उपलब्ध करवाने में मध्यप्रदेश, देश के 7 बड़े राज्यों में तीसरे स्थान पर है।

15. मेरी सरकार के सतत् प्रयासों से जल संसाधन एवं नर्मदा घाटी विकास विभाग के माध्यम से प्रदेश की सिंचाई क्षमता 43 लाख हेक्टेयर से भी अधिक हो गयी है। नर्मदा घाटी क्षेत्र में 14 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा वाली 45 हजार करोड़ रुपये की लागत की परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए भारत सरकार द्वारा 44 हजार 605 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। परियोजना से प्रदेश में 8 लाख 11 हजार हेक्टेयर में सिंचाई और 41 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा मिलेगी। इसके अतिरिक्त 103 मेगावॉट जल विद्युत एवं 27 मेगावॉट सौर ऊर्जा भी उपलब्ध होगी।

16. मध्यप्रदेश, देश के हृदय में बसता है और खेती–किसानी मध्यप्रदेश के हृदय में बसती है। प्रदेश के किसानों के पसीने की एक भी बूंद व्यर्थ न जाए तथा फसल उत्पादन और आमदनी दोनों तेजी से बढ़ें, यही सरकार का लक्ष्य है। माननीय प्रधानमंत्रीजी ने जीरो बजट की प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने का आव्हान किया है। प्रदेश में इस वर्ष 99 हज़ार हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य है। जैविक खेती में मध्यप्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है। वर्ष 2019-20 में प्रदेश का कुल कृषि निर्यात 1.25 लाख मीट्रिक टन था, जो अब 46 प्रतिशत बढ़कर 1.83 लाख मीट्रिक टन हो गया है।

जी.आई.टैग मिलने से प्रदेश के चिनौर धान की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान स्थापित हुई है।

17. रबी उपार्जन वर्ष 2021-22 में 17 लाख 16 हजार 671 किसानों से 1 करोड़ 28 लाख 15 हजार 970 मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन कर 25 हजार 301 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। खरीफ उपार्जन वर्ष 2021-22 में 6 लाख 61 हजार 119 किसानों से 45 लाख 85 हजार 512 मीट्रिक टन धान का उपार्जन कर 7 हजार 250 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

18. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2018-19, वर्ष 2019-20 एवं वर्ष 2020-21 के कुल 93 लाख 81 हजार से अधिक दावों की 17 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि का अंतरण किसानों के खातों में किया गया।

19. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि 6,000 रुपए प्रतिवर्ष के साथ मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के माध्यम से 4,000 रुपए राज्य की ओर से मिलाये गये, जिससे किसानों को प्रतिवर्ष 10 हजार रुपए की निश्चित सहायता प्राप्त होने लगी है। इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत पिछले लगभग 02 वर्ष में 76 लाख 53 हजार से अधिक किसानों के खातों में 15 हजार करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई है।

20. प्रदेश एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड योजना के क्रियान्वयन में देश में प्रथम है। योजना से कृषक, कृषि उद्यमी, एफपीओ, स्टार्टअप, स्व-सहायता समूह, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ और कृषि से जुड़े लोग लाभान्वित हो रहे हैं। योजना में अब तक 1 हजार 187 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण वितरण किया गया है।

21. आपदा के समय मेरी सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है। विगत वर्ष और इस वर्ष मिलाकर सरकार द्वारा ओलावृष्टि, अतिवृष्टि एवं कीट–व्याधि जैसे संकट के दौरान फसल हानि पर राहत राशि के रूप में 3 हजार करोड़ रुपये से अधिक की सहायता किसान भाई-बहनों को दी गई है।

22. किसानों को अपने खेत-खलिहान से ही फसल विक्रय की सुविधा मोबाइल एप के माध्यम से प्रदान की जा रही है। इस साल लगभग 7 लाख किसानों द्वारा 28 लाख मीट्रिक टन से अधिक फसल का विक्रय फार्मगेट सौदा-पत्रक एप के माध्यम से किया गया है, जिसमें लगातार वृद्धि जारी है। प्रदेश में 141 नए किसान उत्पादक संगठनों का गठन किया जा चुका है।

23. मेरी सरकार मध्यप्रदेश में सहकारिता को जन-आंदोलन बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। सहकारी संस्थाओं के पंजीयन को फेसलेस और कान्टेक्टलेस बनाया गया है। परंपरागत सहकारी क्षेत्रों के अलावा पर्यटन, उद्यानिकी,

जैविक कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी, श्रम, ग्रामीण औद्योगीकरण, ऊर्जा,ग्रामीण परिवहन आदि विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी आंदोलन का विस्तार किया जा रहा है।

24. सब्जी, फल एवं फूलों के भण्डारण के लिये प्रदेश में 4 लाख 82 हजार मीट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज क्षमता विकसित की जा चुकी है। इस वर्ष 137 शासकीय नर्सरियों में पौध उत्पादन का कार्यक्रम लिया गया है। बुंदेलखण्ड क्षेत्र सहित अन्य जिलों में 284 किसानों के यहाँ नवीन पान बरेजा की स्थापना की जा रही है। ड्रैगन फ्रूट (कमलम), पेशन फ्रूट, स्ट्राबेरी आदि फलों के क्षेत्र विस्तार तथा औषधीय एवं सुगंधित फूलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। मध्यप्रदेश, देश में मसाले, सब्जियों और फूलों के उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है।

25. प्रदेश में वर्तमान में शासकीय एवं अशासकीय गौ-शालाओं में 2 लाख 52 हजार गौ-वंश का पालन किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 में 1 हजार 945 गौ-शालाओं का संचालन कर 2 लाख 90 हजार गौ-वंश पालन का लक्ष्य है। प्रदेश, 25 हजार से अधिक पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर देश में प्रथम है। दुग्ध उत्पादकों को 56 हजार किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हैं। कृत्रिम गर्भाधान और पशु चिकित्सा का प्रशिक्षण देने की "मैत्री योजना" में 3 हजार से अधिक मैत्री प्रशिक्षित किये गये हैं।

26. मेरी सरकार द्वारा मत्स्य-पालन को बढ़ावा देने से उपलब्ध जल-क्षेत्र के 99 प्रतिशत में मत्स्य-पालन हो रहा है। वर्ष 2022-23 में सालाना मत्स्य-बीज उत्पादन 200 करोड़ स्टेण्डर्ड फ्राय और मत्स्य-उत्पादन 3 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाने का लक्ष्य है।

27. मेरी सरकार अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की खुशहाली और हितों की रक्षा के लिए समर्पित होकर कार्य कर रही है। सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि हर गरीब को समय पर और पूरा राशन मिले ताकि उसकी थाली, कभी खाली न रहे। प्रदेश में 4 करोड़ 94 लाख लोगों को खाद्यान्न सुरक्षा का लाभ दिया जा रहा है। लगभग 50 लाख नवीन हितग्राहियों को जोड़कर पात्रता पर्ची जारी कर 1 रुपये प्रति किलो की दर से राशन का वितरण किया जा रहा है। वन नेशन-वन राशनकार्ड योजना के अंतर्गत 5 लाख परिवार पोर्टेबिलिटी का लाभ ले रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में पात्र परिवारों को मार्च, 2022 तक प्रति सदस्य प्रतिमाह के मान से अतिरिक्त 5 किलोग्राम खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है।

28. मेरी सरकार ने मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना लागू कर 89 जनजातीय विकासखण्डों की उचित मूल्य दुकानों के आश्रित 6 हजार 876 ग्रामों में राशन सामग्री के ग्राम में ही

वितरण की व्यवस्था की है। योजना से 8 लाख 50 हजार से अधिक परिवारों को ग्राम में ही राशन सामग्री प्राप्त होगी। राशन वितरण हेतु हितग्राहियों को वाहन ऋण पर राज्य सरकार द्वारा गारंटी दी जा रही है। साथ ही 1 मीट्रिक टन क्षमता के वाहन के लिए 2 लाख तथा 2 मीट्रिक टन क्षमता के वाहन के लिए 3 लाख रुपए की मार्जिन मनी हितग्राही को दी जा रही है। वर्तमान में अनुसूचित जनजाति के 299 हितग्राहियों ने राशन वितरण हेतु वाहन ऋण की सुविधा प्राप्त कर ली है। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में 71 लाख से अधिक महिलाओं को तथा दूसरे चरण में लगभग 8 लाख महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया जा चुका है।

29. सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना मेरी सरकार की प्रतिबद्धता है। इस वर्ष 50 लाख 34 हजार वृद्धजन, निराश्रित, दिव्यांगजन, कल्याणी बहनों , परित्यक्ताओं और अविवाहिताओं को 2 हजार 881 करोड़ रुपए से अधिक की पेंशन राशि का भुगतान किया गया है। मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना में 290 कल्याणियों को 5 करोड़ 80 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। बहुविकलांग और मानसिक रूप से नि:शक्त 76 हजार 474 हितग्राहियों को 31 करोड़ 42 लाख रुपये की सहायता दी गई है। भोपाल में

वरिष्ठजन की चिकित्सा हेतु मोबाईल मेडीकेयर यूनिट संचालित की जा रही है। मेरी सरकार द्वारा सामान्य वर्ग कल्याण आयोग का पुनर्गठन कर सामान्य वर्ग के पात्र हितग्राहियों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का संचालन प्रारंभ किया जा रहा है।

30. मुख्यमंत्री जन-कल्याण (संबल) योजना उन गरीबों के लिए वरदान साबित हुई है, जो विकास की दौड़ में सबसे पीछे रह गए थे। इस योजना के अंतर्गत अब तक 3 लाख 29 हजार से अधिक हितग्राहियों को 2 हजार 742 करोड़ रुपए से अधिक के हितलाभ प्रदान किए गए हैं। मेरी सरकार द्वारा संबल योजना के स्वरूप को विस्तार देते हुए योजना का द्वितीय चरण प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत नवीन पंजीयन हेतु पोर्टल प्रारंभ कर पात्र श्रमिकों का पंजीयन करते हुए ई-पंजीयन कार्ड जारी किया जायेगा।

31. तेंदूपत्ता संग्राहकों को वर्ष 2021 में 415 करोड़ रुपए की राशि पारिश्रमिक के रूप में और 191 करोड़ रुपए की राशि बोनस के रूप में वितरित की गई है। मनरेगा अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के 6 लाख 27 हजार कार्य पूर्ण कराये गये हैं एवं लगभग 11 लाख 28 हजार कार्य प्रगति पर है। योजना में अब तक 27 करोड़ 95 लाख मानव दिवस रोज़गार सृजित किये गये हैं।

दीनदयाल रसोई योजना का विस्तार कर अब प्रदेश में 100 रसोई केंद्र स्थापित किए गए हैं।

32. ग्रामीण क्षेत्र में आबादी की भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराए जाने के लिए मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना लागू की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत व्यक्तियों के लिए स्वामित्व योजना अंतर्गत आवासीय भूमि के भू- अभिलेख तेजी से तैयार किये जा रहे हैं। अब तक प्रदेश के लगभग 8 हजार ग्रामों की 12 लाख से अधिक परिसंपत्तियों की मैपिंग की जा चुकी है। अधिकार अभिलेखों को पोर्टल पर डिजिटली तैयार करने में मध्यप्रदेश, पूरे देश में अग्रणी है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में लंबे अरसे से शासकीय भूमि पर काबिज़ नागरिकों को भू-अधिकार प्रदान करने के लिए योजना आंरभ की गयी है।

33. मेरी सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा घुमंतु एवं अर्ध-घुमन्तु जाति कल्याण के लिए तेजी से कार्य कर रही है। जनजातीय जननायकों के जन्म, जीवन, योगदानों और बलिदानों की अमर यश-गाथा युगों–युगों तक समाज को प्रेरणा देती रहे, इस उद्देश्य से "जनजातीय गौरव–दिवस" का आयोजन 15 नवम्बर, 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में किया गया। इसी दिन मध्यप्रदेश सिकल सेल (हीमोग्लोबिनोपैथी) मिशन एवं

मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम जैसी अभिनव योजनाएँ- प्रदेश के जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों को समर्पित की गयीं। प्रदेश में समरसता के साथ पेसा कानून का प्रभावी क्रियान्वयन भी प्रारंभ कर दिया गया है।

34. सिकल सेल एनीमिया स्क्रीनिंग एवं प्रबंधन के लिए प्रारंभ किए गए मध्यप्रदेश सिकल सेल मिशन के माध्यम से प्रथम चरण में जनजातीय बाहुल्य झाबुआ एवं अलीराजपुर जिले में सिकल सेल स्क्रीनिंग का कार्य किया जा रहा है। स्क्रीनिंग के बाद पॉजीटिव सिकल रोगियों का चिकित्सकीय प्रबंधन एवं जेनेरिक काउंसिलिंग कर जेनेटिक कार्ड का वितरण किया जाएगा।

35. इस वर्ष 14 कन्या शिक्षा परिसरों का एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में उन्नयन और तीन नये एकलव्य आवासीय विद्यालय स्वीकृत किये गये हैं। आकांक्षा योजना में 733 विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थाओं में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने पर 10 करोड़ रुपये से अधिक की राशि व्यय की गई है। गृह निवास से बाहर उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए लागू आवास सहायता योजना में इस वर्ष 89 हजार से ज्यादा जनजातीय विद्यार्थियों को 86 करोड़ रुपये से अधिक का आवास भत्ता दिया गया है। कक्षा 11, 12 और महाविद्यालयीन स्तर की छात्रवृत्ति योजना का लाभ 3 लाख 50 हजार जनजातीय विद्यार्थियों को मिल रहा है।

36. स्वास्थ्य और पोषण को सुनिश्चित करने के लिए संचालित आहार अनुदान योजना में इस वर्ष 2 लाख 30 हजार से ज्यादा विशेष पिछड़ी जनजाति परिवार की महिला मुखिया को प्रतिमाह 1000 रुपये के मान से लगभग 195 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है। जनजातीय आबादी वाले गाँवों के एकीकृत विकास की आदर्श ग्राम योजना में 5 वर्ष में 7 हजार 307 ग्राम का विकास किया जाना है। इस वर्ष 1 हजार 204 ग्रामों का विकास किया जा रहा है।

37. अनुसूचित जातियों के लिए शिक्षा, स्व-रोज़गार, सुरक्षा एवं संवैधानिक संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है। विगत लगभग 2 वर्षों में अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए 1 हजार 735 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य किए गए हैं, जिनसे 45 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं । समरसता के संत पूज्य श्री रविदास जी महाराज की जन्म–जयन्ती के अवसर पर दिनांक 16 फरवरी, 2022 को राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं एवं उद्यमियों के स्व-रोज़गार और कौशल उन्नयन को प्रोत्साहन देने के लिए संत रविदास स्व-रोज़गार योजना,डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। अनुसूचित जाति वर्ग के 8 हजार युवाओं को रोज़गारमूलक ट्रेड में आवासीय

कौशल उन्नयन प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु 32 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गयी है। भोपाल स्थित ग्लोबल स्किल पार्क का नामकरण संत रविदास जी के नाम पर करने का निर्णय लिया गया है।

38. राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। पिछड़ा वर्ग के सर्वांगीण विकास और कल्याण की दृष्टि से मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन सरकार की इसी प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति है। पिछड़ा वर्ग आरक्षण के विषय में माननीय न्यायालय के समक्ष सरकार अपना पक्ष पूरी मज़बूती के साथ रख रही है। जिन विषयों के मामले न्यायालय में लंबित नहीं है, उन विषयों को छोड़कर अन्य सभी मामलों में पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की कार्यवाही की गई है। पंचायत निर्वाचन में पिछड़ा वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले और एक बड़े वर्ग को लोकतंत्र में अपने अधिकार से वंचित न होना पड़े, इसे सुनिश्चित करने के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण के साथ ही निर्वाचन कराए जाने का संकल्प विधानसभा के माध्यम से सर्वसम्मति से पारित किया गया है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम में प्रदेश की चार परियोजनाओं के लिए 358 करोड़ 33 लाख रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

39. घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु जनजातियों के कल्याण कार्यक्रमों को गति देने के लिए प्रतिवर्ष 31 अगस्त को विमुक्त जाति दिवस आयोजित करना प्रारंभ किया गया है। इन वर्गों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास की अनेक योजनाएँ संचालित की जा रही हैं।

40. मध्यप्रदेश के प्रत्येक ग्राम और नगर का सुनियोजित विकास सरकार का लक्ष्य है। मेरी सरकार ने एक अभिनव पहल करते हुए जनता के साथ मिलकर प्रदेश के हर ग्राम और हर नगर का गौरव-दिवस आयोजित करने का निर्णय लिया है। गौरव दिवस के अवसर पर आनन्द और उल्लास के वातावरण में स्थानीय नागरिक, प्रशासन के सहयोग से अपने-अपने ग्राम एवं नगर के भावी विकास की रूपरेखा तय करेंगे। हर ग्राम के लिए दीर्घकालिक विजन के साथ मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। होशंगाबाद नगर एवं जिले का नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है।

41. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में अब तक 23 लाख 75 हजार से ज्यादा हितग्राहियों के आवास पूर्ण किये गये हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के अंतर्गत 3 लाख 4 हजार से अधिक पथ विक्रेताओं को 304 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिलाया गया है।

42. मेरी सरकार के विशेष प्रयासों के परिणामस्वरूप प्रदेश में स्व-सहायता समूहों के सशक्तीकरण से समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हुआ है। हमारे समूह गणवेश सिलाई से लेकर मास्क-सेनेटाईजर निर्माण तक, खाद्यान्न उपार्जन से लेकर मकानों की सेंटरिंग तक, फ्लाय एश (ब्रिक्स) निर्माण से लेकर दीदी कैफे के संचालन तक अनेक आर्थिक गतिविधियों का सफल संचालन कर रहे हैं। इस वर्ष ग्रामीण स्व-सहायता समूहों को 2 हजार करोड़ रुपए से अधिक का क्रेडिट लिंकेज का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के पोषण आहार संयंत्रों का संचालन महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपने का निर्णय, महिलाओं के आर्थिक–सामाजिक सशक्तीकरण की दिशा में एक नये युग की शुरुआत है।

43. नगरोदय के लक्ष्य के साथ मध्यप्रदेश ने देश में सफलता के अनेक प्रतिमान रचे हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण में मध्यप्रदेश लगातार 2 बार देशभर में तीसरे स्थान पर और इंदौर लगातार 5 बार पहले स्थान पर आया है। प्रदेश के 6 शहरों को राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता सम्मान मिला है तथा 27 शहरों को स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है। प्रदेश के 295 निकाय ओ.डी.एफ. डबल प्लस तथा 74 निकाय ओ.डी.एफ. प्लस सर्टिफिकेशन प्राप्त करने में सफल हुए हैं। प्रदेश के सभी शहर खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं।

44. स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट में मध्यप्रदेश, देश में दूसरे स्थान पर रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है। शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश, देश में द्वितीय स्थान पर हैं।

45. स्वच्छ भारत मिशन- 2.0 में मध्यप्रदेश के लिए 4 हजार 914 करोड़ रुपए से अधिक की और अमृत योजना– 2.0 में अगले 5 वर्ष हेतु 11 हजार 680 करोड़ रुपए से अधिक की योजना की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है।

46. माननीय प्रधानमंत्रीजी के कर-कमलों से इंदौर में शहरी गीले कचरे के प्र-संस्करण के एशिया के सबसे बड़े गोबर-धन प्लांट का लोकार्पण किया गया है। वेस्ट–टू–वेल्थ की अवधारणा को साकार करने वाले इस प्लांट से 550 मीट्रिक टन गीला कचरा प्रतिदिन प्रोसेस किया जाएगा और 17 से 18 टन सी.एन.जी. तथा 100 टन जैविक खाद प्रतिदिन प्राप्त होगी।

47. गुणवत्तायुक्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण उत्प्रेरक हैं। इस वर्ष 263 नयी स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थापना अथवा उन्नयन की स्वीकृति दी गई है। प्रदेश में 21 जिला चिकित्सालय एवं 5 मेडिकल कॉलेज में आब्स्टेट्रिक आईसीयू स्थापित किये गये हैं। कुल 5 हजार 200 उप स्वास्थ्य केन्द्रों का हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर में उन्नयन

किया गया है तथा 10 हजार उप स्वास्थ्य केन्द्रों और 1 हजार 200 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर्स पर 205 प्रकार की और उप स्वास्थ्य केन्द्र पर 97 प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं। हब एण्ड स्पोक मॉडल के माध्यम से 1 हजार 200 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर्स पर आवश्यक 24 जाँच की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

48. आयुष्मान भारत "निरामयम" योजना में प्रदेश के लगभग 94 प्रतिशत पात्र परिवारों के कम से कम एक सदस्य को कार्ड वितरित कर दिया गया है। कुल 2 करोड़ 60 लाख आयुष्मान कार्ड जारी किये गये हैं। योजना में अनुबंधित चिकित्सालयों की संख्या विगत एक वर्ष में 774 से बढ़कर 1 हजार से अधिक हो गई है। प्रदेश को कम समय में अधिक डिजिटल हेल्थ आई डी बनाने की विशेष उपलब्धि के लिए हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है।

49. मेरी सरकार द्वारा अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। मंडला, सिंगरौली, श्योपुर,

राजगढ़, नीमच तथा मंदसौर मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए इस वर्ष 1 हजार 547 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृतियाँ दी गई हैं। चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में 1 हजार 498 बिस्तर के नवीन अस्पताल का निर्माण कार्य अन्तिम चरण में है। महाविद्यालय में "सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्थोपेडिक" और नेफ्रोलॉजी तथा यूरोलॉजी विभाग की स्थापना की मंजूरी दी गई है। क्षय चिकित्सालय, भोपाल का उन्नयन "रीजनल इंस्टीट्यूट फॉर रेस्पिरेटरी डिसीज" में किया जा रहा है। चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, "स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई" तथा "स्टेट एलाईड हेल्थ सेन्टर" की स्थापना की जा रही है। मानसिक चिकित्सालय, इन्दौर का उन्नयन भी "सेंटर ऑफ एक्सीलेंस" में किया जा रहा है। चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर में "स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट", "स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पल्मोनरी मेडिसिन" और "स्टेट एलाईड हेल्थ सेन्टर" की स्थापना की जा रही है। चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा एवं ग्वालियर के अधीन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना की गई है।

50. चिकित्सा शिक्षा के पठन-पाठन में हिन्दी भाषा को माध्यम के रूप में उपयोग किए जाने का निर्णय लिया गया है। हिन्दी में एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम निर्धारित करने की कार्य-योजना तैयार करने हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

51. कोविड से नागरिकों की सुरक्षा हेतु टीकाकरण को एक बड़े जन-अभियान के रूप में संचालित किया जा रहा है। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र नागरिकों को अब तक कोविड के 11 करोड़ 39 लाख से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में कोविड टीकाकरण का पहला डोज 98.04 प्रतिशत और दूसरा डोज 95.5 प्रतिशत नागरिकों को लगाया जा चुका है। साथ ही 15 से लेकर 18 वर्ष से कम उम्र के पात्र 85.63 प्रतिशत किशोर-किशोरियों को प्रथम डोज लगाया जा चुका है। इसी प्रकार 8 लाख 95 हजार से अधिक पात्र व्यक्तियों को प्रिकॉशन डोज लगाया जा चुका है।

52. मेरी सरकार भोपाल गैस त्रासदी के प्रभावितों के चिकित्सकीय, आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय पुनर्वास के प्रति सजग है। गैस पीड़ित 4 हजार 500 कल्याणी बहनों को 1 हजार रुपये प्रतिमाह की पेंशन पुन: प्रारम्भ की गई है।

53. विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जन्म से लेकर जीवन पर्यंत बेटियों एवं महिलाओं का सशक्तीकरण मेरी सरकार की प्राथमिकता है। लाड़ली लक्ष्मी योजना ने बेटियों के जन्म के प्रति परिवार और समाज की सोच को बदलकर रख दिया है। प्रदेश में अब तक 41 लाख से अधिक बेटियाँ लाड़ली लक्ष्मी बन चुकी हैं। बेटियों के वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित बनाने में वरदान साबित हुई इस योजना का द्वितीय चरण

प्रारंभ करने का निर्णय मेरी सरकार ने लिया है। अब प्रतिवर्ष 2 मई को प्रदेश भर में लाड़ली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन किया जायेगा।

54. मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम में 5 लाख 6 हजार गंभीर कुपोषित बच्चों को सामान्य पोषण स्तर पर लाया गया है। प्रदेश में अति गंभीर कुपोषण की श्रेणी का प्रतिशत 9.2 से घटकर 6.5 और कम वजन के बच्चों का प्रतिशत 42.8 से घटकर 33 प्रतिशत हुआ है। पोषण ट्रैकर एप से सभी 97 हजार 135 आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवाओं की मॉनिटरिंग की जा रही है। इस वर्ष 1 हजार 993 नवीन आँगनवाड़ी भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना में 1 हजार 365 बाल हितग्राहियों को नियमित मासिक आर्थिक सहायता एवं निःशुल्क खाद्यान्न प्रदाय किया जा रहा है। आगामी वार्षिक बजट में पहली बार चाइल्ड-बजट भी प्रकाशित किया जा रहा है, जो कि देश में एक अभिनव पहल है।

55. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश, देश का अग्रणी राज्य है। शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के उद्देश्य से सीएम राइज स्कूल योजना के प्रथम चरण में 360 विद्यालयों का सीएम राइज स्कूल में उन्नयन करने की स्वीकृति जारी कर दी गयी है। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों

में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर दी गई है। इस वर्ष 11 नये शासकीय महाविद्यालय, 475 नये दूरस्थ शिक्षा केन्द्र और 6 महाविद्यालयों में नये संकाय प्रारंभ किये गये हैं। जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन स्थित विश्वविद्यालयों में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किये गये हैं। शासकीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में उद्यानिकी, कृषि, पशुपालन तथा पर्यटन पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की कार्यवाही की जा रही है। ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए प्रदेश के 25 संस्थानों द्वारा 60 राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों से एम.ओ.यू. किए गए हैं।

56. कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि और भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं संस्थानों में उच्च शिक्षा सहायता हेतु प्रारंभ की गयी मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत इस शैक्षणिक सत्र में 16 हजार 300 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों को 74 करोड़ रुपये से अधिक की राशि उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री जन-कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना अंतर्गत 2 हजार 200 से अधिक विद्यार्थियों को 2 करोड़ रुपये से अधिक की राशि उपलब्ध कराई गई है।

57. युवाओं को शिक्षा एवं कौशल विकास के साथ रोज़गार एवं स्व-रोज़गार के अवसर सुलभ कराना मेरी सरकार की

प्राथमिकता है। वर्तमान सत्र में 1 हजार 201 विद्यालयों में 2 लाख 37 हजार से अधिक विद्यार्थियों को 12 ट्रेडस में कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। केम्पस प्लेसमेंट ड्राइव से आईटीआई उत्तीर्ण 4 हजार से अधिक प्रशिक्षणार्थियों का कम्पनियों द्वारा चयन किया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में नवम्बर, 2020 से अब तक साढ़े 28 हजार युवाओं का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है और साढ़े 5 हजार प्रशिक्षणरत हैं। राष्ट्रीय स्तर की ग्रेडिंग में 19 शासकीय एवं निजी आईटीआई को 3 स्टार और 96 आईटीआई को 2 स्टार ग्रेडिंग मिली है।

58. राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह रोज़गार दिवस का आयोजन किया जा रहा है। नवम्बर, 2021 से फरवरी,2022 तक 4 माह में स्व-रोज़गार हेतु विभिन्न योजनाओं जैसे– प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, पथ विक्रेता योजना के अंतर्गत 10 लाख 27 हजार से अधिक हितग्राहियों को 5 हजार 430 करोड़ रूपए से अधिक की ऋण सहायता उपलब्ध कराई गई। इस प्रकार औसतन प्रतिमाह ढाई लाख से अधिक लोगों को स्व-रोज़गार के लिए ऋण प्राप्त हुआ है। रोज़गार मेलों के आयोजन के फलस्वरूप 80 हजार से अधिक आवेदकों को कम्पनियों से ऑफर लेटर प्राप्त हुए हैं।

59. आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश की अवधारणा को साकार करने में औद्योगिक विकास की अहम भूमिका है। इस दृष्टि से मेरी सरकार प्रदेश में निवेश आकर्षित कर उद्योगों का जाल बिछाकर संतुलित क्षेत्रीय विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। अटल प्रगति पथ एवं नर्मदा प्रगति पथ के दोनों तरफ इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर के विकास की योजना है। प्रदेश के विभिन्न अंचलों में 20 नये औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने की योजना तैयार की गयी है। इनमें से 11 नये औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने का कार्य प्रारंभ हो गया है। भारत सरकार से विक्रम उद्योगपुरी, उज्जैन में 355 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के मेडिकल डिवाईस पार्क की स्थापना की स्वीकृति मिल गई है। इन्दौर-धार इन्वेस्टमेंट रीजन में पीथमपुर में 550 करोड़ रुपये की लागत से नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की स्वीकृति दी गई है। इससे 15 हजार करोड़ रुपये का निवेश एवं 10 हजार व्यक्तियों को रोज़गार प्राप्त होना संभावित है। पिछले लगभग दो वर्ष में प्रदेश में 650 से अधिक नई औद्योगिक ईकाइयाँ स्वीकृत हुई हैं। इससे 40 हजार करोड़ रूपए से अधिक का निवेश मध्यप्रदेश में आ रहा है और लगभग 1 लाख नए रोज़गार के अवसर सृजित होंगे।

60. प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के क्लस्टर आधारित विस्तार को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रदेश

में 17 क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं- इससे लगभग 41 हजार लोगों के लिए रोज़गार के अवसर पैदा होंगे।

61. एक जिला-एक उत्पाद योजना में प्रदेश के 52 जिलों से उत्पादों का चयन कर विश्व-स्तरीय मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए मिशन मोड पर कार्य किया जा रहा है। प्रदेश के जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में औषधीय तथा सुगंधित पौधों की खेती को प्रोत्साहन देने तथा उत्पादन से लेकर विपणन एवं विक्रय तक सम्पूर्ण वैल्यू चेन स्थापित करने हेतु देवारण्य योजना प्रारंभ की जा रही है।

62. एथेनॉल एवं जैव ईंधन ईकाइयों को प्रोत्साहन एवं वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने के लिए एथेनॉल एवं जैव ईंधन प्रोत्साहन योजना स्वीकृत की गई है। मध्यप्रदेश ट्रेड प्रमोशन काउन्सिल का गठन किया गया है।

63. मेरी सरकार द्वारा हाथकरघा, हस्तशिल्प एवं कुटीर ग्रामोद्योगों के उत्पादों को "अमेजन" एवं "फ्लिपकार्ट" जैसे प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराया गया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग ईकाइयों को ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ जोड़ने के क्रम में वॉलमार्ट वृद्धि के साथ एमओयू किया गया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग ईकाइयों को बड़ी कंपनियों की वेंडर ईकाई के रूप में विकसित करने हेतु पन्ना, बालाघाट, नीमच एवं रीवा में वेंडर डेवलपमेंट कार्यक्रम किए जा रहे हैं।

64. माननीय प्रधानमंत्री जी ने "इनोवेट फॉर इण्डिया-इनोवेट फ्राम इण्डिया" का मंत्र दिया है। उनके नेतृत्व में देश में एक नई स्टार्ट-अप क्रान्ति ने जन्म लिया है। मध्यप्रदेश अब देश का उभरता हुआ स्टार्ट-अप हब है। वर्तमान में प्रदेश में 1 हजार 800 स्टार्ट-अप स्थापित हो चुके हैं। मध्यप्रदेश के कुछ स्टार्ट-अप तो 4 हजार करोड़ से लेकर 8 हजार करोड़ रुपए से भी अधिक की वैल्यू के हैं। मध्यप्रदेश में स्टार्ट-अप क्रान्ति को नई उड़ान, नई पहचान और नए प्रोत्साहन देने के लिए स्टार्ट-अप नीति, 2022 लागू कर दी गई है। इस नीति में प्रदेश में स्टार्ट-अप स्थापित करने वाले उद्यमियों को निवेश सहायता, आयोजन सहायता, इन्क्यूबेशन उन्नयन सहायता, लीज रेन्टल सहायता, पेटेंट सहायता, प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति, रोज़गार सृजन अनुदान, विद्युत शुल्क पर छूट, विद्युत टैरिफ में रियायत प्रदान करने के प्रावधान किए गए हैं।

65. मेरी सरकार द्वारा प्रदेश में लोक परिवहन को सुगम और सुरक्षित बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं। महिलाओं को 5 लाख 36 हजार लर्निंग और 4 लाख 77 हजार निःशुल्क ड्रायविंग लायसेंस जारी किये गये हैं। दिव्यांगजन को यात्री किराए में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है।

66. मेरी सरकार प्रदेश में हवाई यातायात सुविधाओं के विस्तार का कार्य कर रही है। रीवा से भोपाल तथा रीवा से इन्दौर

हवाई सेवा प्रारम्भ की जा रही है। औद्योगिक क्षेत्र सिंगरौली में नवीन हवाई-पट्टी का कार्य प्रगति पर है। ग्वालियर विमानतल के विस्तार के लिए 57 हेक्टेयर भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को निःशुल्क आवंटित कर दी गई है।

67. मेरी सरकार द्वारा वन संपदा के संरक्षण तथा संवर्धन के साथ वानिकी से वनवासियों को आर्थिक संबल देने का कार्य किया जा रहा है। स्थानीय समुदायों की वन संरक्षण में भागीदारी के उद्देश्य से 1 हजार 700 वन समितियों की सूक्ष्म प्रबंध योजनाएँ बनाई गई हैं। समितियों से जुड़े युवाओं का कौशल उन्नयन कर उन्हें आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है।

68. राज्य सरकार ने पेसा अधिनियम की मंशा के अनुरूप कार्य करते हुए वनों के परंपरागत प्रबंधन को ग्राम सभा को देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सामुदायिक वन प्रबंधन समितियाँ अब माइक्रो प्लान बना कर उनके गाँव से जुड़े वनों का प्रबंधन कार्य आयोजना के अनुसार करेंगी। वनों के रख-रखाव और सुरक्षा में समुदाय और सरकार की संयुक्त भागीदारी होगी। वनों के विरलन से निकलने वाली बाँस-बल्लियाँ समिति को मिलेगी और अंतिम रूप से मिलने वाले इमारती लकड़ी का 20 प्रतिशत राजस्व वन समितियों को जाएगा। यह समितियाँ ग्राम सभा द्वारा ही गठित या पुनर्गठित की जा सकेगी।

69. तेंदूपत्ता के लाभांश वितरण के संबंध में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अब तेंदूपत्ता विक्रय से होने वाले लाभ का 75 प्रतिशत संग्राहकों को बोनस के रूप में दिया जाएगा और 5 प्रतिशत राशि, लघु वनोपज का मालिकाना हक पेसा अधिनियम के तहत ग्राम सभा को होने से, ग्राम सभा को दी जाएगी।

70. "एक जिला-एक उत्पाद" योजना में बैतूल जिले में सागौन ; देवास, हरदा एवं रीवा जिले में बाँस तथा अलीराजपुर एवं उमरिया जिले में महुआ उत्पाद को विकसित करने का 5 वर्षीय रोडमैप बनाया जा रहा है। भारत सरकार से विलुप्त वन्य-प्राणी चीता की कूनो राष्ट्रीय उद्यान में पुनर्स्थापना की स्वीकृति मिल गई है।

71. मेरी सरकार खनिज सम्पदा में वृद्धि के साथ खनिजों के संतुलित दोहन से स्थानीय रोज़गार के अवसर बढ़ा रही है। गौण खनिज परिवहन और गौण खनिज उत्खनन पट्टा के आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के 5 हजार 582 प्रकरण दर्ज कर इस वर्ष 17 करोड़ 18 लाख से ज्यादा के अर्थदण्ड की वसूली की गई। मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2022 लागू किये जा रहे हैं। इन सुधारों से प्रदेश में अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण पर

प्रभावी नियंत्रण हो सकेगा तथा प्रकरणों के निराकरण में पारदर्शिता एवं सुगमता बढ़ेगी।

72. मेरी सरकार द्वारा हरित क्षेत्र में वृद्धि और वातावरण को प्राणवायु ऑक्सीजन से समृद्ध करने के लिए शुरू किये गये "अंकुर कार्यक्रम" में अब तक 5 लाख 72 हजार से अधिक नागरिकों ने अपना पंजीयन कराते हुए 10 लाख से अधिक पौधों का रोपण किया है। प्रदूषण स्तर की जाँच के लिए नर्मदा नदी में 6, क्षिप्रा और कान्ह नदी में 2-2 स्टेशन स्थापित किये गये हैं। इंदौर के सिरपुर तालाब और यशवंत सागर तथा शिवपुरी के सांख्या सागर को रामसर साईट के रूप में नामांकित किया गया है।

73. कान्हा से लेकर साँची तक, ओंकारेश्वर से लेकर अमरकण्टक तक, खजुराहो से लेकर पचमढ़ी तक और ओरछा से लेकर भेड़ाघाट तक देश के हृदय प्रदेश में पर्यटन की छटा चारों ओर बिखरी हुई है। पर्यटन की दृष्टि से प्रदेश को और अधिक समृद्ध बनाकर विश्व के नक्शे पर उभारने के लिए राज्य सरकार द्वारा सुनियोजित रणनीति के साथ कार्य किया जा रहा है। पर्यटन के माध्यम से आर्थिक विकास और नागरिकों के लिए रोज़गार अवसरों में वृद्धि के सरकार के प्रयासों के अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। इस वर्ष निजी निवेश की पर्यटन परियोजनाओं से 72 करोड़ 57 लाख से ज्यादा का निवेश

आया और 7 हजार 230 लोगों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोज़गार मिला है। प्रदेश के 100 ग्रामों को पर्यटन ग्राम के रूप में विकसित किया जा रहा है।

74. आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर स्वाधीनता-संग्राम के आदर्शों, बलिदानों एवं प्रेरक विचारों को जन-जन तक पहुँचाने तथा जनजातीय चेतना व संघर्ष के भावों को रेखांकित करने का प्रयास मध्यप्रदेश में किया गया है। क्रान्तिकारियों, शहीदों, रणबांकुरों, वीरांगनाओं और जन-नायकों की अदम्य शौर्य गाथाओं का स्मरण कर "राष्ट्र प्रथम-सदैव प्रथम" के भावों को अनुप्राणित करने के लिए विभिन्न अवसरों पर नियमित आयोजन किए जा रहे हैं। गुरू गोविन्दसिंह की 350 वीं वर्षगांठ के अवसर पर बुरहानपुर में संग्रहालय की स्थापना करने की योजना है।

75. ओंकारेश्वर वह स्थल है, जहाँ आदि शंकराचार्य जी को सन्यास-दीक्षा प्राप्त हुई एवं यहीं से उनके अद्वैत वेदांत के प्रचार का मार्ग प्रशस्त हुआ। ओंकारेश्वर को एकात्मता के वैश्विक केन्द्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ आदि शंकराचार्य जी के जीवन एवं एकात्मता के लोकव्यापीकरण के उद्देश्य से आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट की बहुधातु मूर्ति (स्टेच्यु ऑफ वननेस), शंकराचार्य जी के जीवन-दर्शन पर

आधारित शंकर संग्रहालय एवं आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान की स्थापना की जायेगी।

76. महाकाल महाराज मंदिर परिसर विस्तार परियोजना के माध्यम से उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर परिसर को 714 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से भव्य स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। उज्जैन में महाशिवरात्रि के अवसर पर "शिवज्योति अर्पणम्" कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों, मंदिरों, घाटों एवं घर-घर में दीपोत्सव मनाया गया। क्षिप्रा नदी के घाट पर 11 लाख 71 हजार से अधिक दीपों को एक साथ एक स्थान पर प्रज्जवलित कर गिनीज़ विश्व रिकॉर्ड बनने के साथ यह पावन अवसर इतिहास का एक स्वर्णिम पृष्ठ बन गया।

77. तीर्थ-स्थलों के संरक्षण एवं संवर्धन और मेलों की सुचारू व्यवस्था के लिए प्रदेश के प्रमुख 104 तीर्थ और 1 हजार 458 मेलों को पंजीबद्ध किया गया है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना पुन: प्रारंभ की जा रही है।

78. मेरी सरकार ने इस वर्ष पुन: 14 से 28 जनवरी तक आनंद उत्सव मनाने का फैसला लिया। आनंद उत्सव, आनंद क्लब, आनंदम, आनंद सभा जैसी गतिविधियाँ नागरिकों की मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक उन्नति में सहायक सिद्ध हो रही हैं।

79. प्रदेश के लिए गौरव का विषय है कि इस वर्ष प्रदेश की पाँच हस्तियों – स्व. डॉ. एन.पी. मिश्रा, श्रीमती दुर्गाबाई व्याम, श्री अर्जुन सिंह धुर्वे, श्री अवध किशोर जड़िया एवं पं. रामसहाय पाण्डे को प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। मेरी सरकार ने मध्यप्रदेश राज्य के शीर्ष नागरिक सम्मानों के रूप में मध्यप्रदेश-रत्न, मध्यप्रदेश-गौरव और मध्यप्रदेश-श्री पुरस्कार प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। ये पुरस्कार मुख्यतः कला, संगीत, संस्कृति, शिक्षा,साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रदान किये जायेंगे।

80. इस वर्ष विभिन्न स्तर की लोक अदालतों में 3 लाख 55 हजार 506 प्रकरणों का निराकरण कराया गया है। विवादविहीन ग्राम योजना में 6 ग्रामों को विवादविहीन ग्राम घोषित किया गया है। विधिक सहायता शिविरों से 10 लाख 69 हजार 64 व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं।

81. मेरी सरकार खेलों के समग्र विकास और खिलाड़ियों की सुविधाओं में वृद्धि के लिये निरन्तर कार्य कर रही है। प्रदेश के खिलाड़ियों ने इस वर्ष 10 अंतर्राष्ट्रीय और 216 राष्ट्रीय पदक प्राप्त कर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। दस से अधिक नये खेल परिसर निर्माणाधीन हैं। खेलों के लोकव्यापीकरण एवं उनमें जन-सहभागिता को प्रोत्साहन के उद्देश्य से प्रतिवर्ष

मुख्यमंत्री कप और विधायक कप का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है।

82. प्रदेश की सभी जेलों के बंदियों की पेशी एवं सुनवाई वीडियो कान्फ्रेंसिंग से की जा रही है। ई-प्रिजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। सौ से अधिक जेलों में सी.सी.टी.वी. की स्थापना की गई है। नरसिंहपुर में खुली जेल का कार्य पूर्ण हो चुका है। छिंदवाड़ा एवं इंदौर में नई जेलों का निर्माण प्रगति पर है।

83. सुशासन, सुराज का आधार है। राज्य में नागरिकों को 564 अधिसूचित सेवाएँ प्रदाय करने की कानूनी गारंटी दी गई है। इनमें से 272 सेवाएँ ऑनलाईन प्रदाय की जा रही हैं। पाँच हजार से अधिक की आबादी वाली ग्राम पंचायतों में उप लोक सेवा केन्द्र खोले जाने की कार्यवाही की जा रही है। लोक सेवा केन्द्रों पर आधार पंजीयन एवं सुधार तथा आयुष्मान भारत लाभार्थी कार्ड सेवा प्रारंभ की गयी है। सिटीजन इंटरफेस से नागरिकों को घर बैठे ऑनलाईन आवेदन कर 62 सेवाएँ उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। साइबर तहसील की स्थापना की दिशा में कार्य प्रारंभ करने वाला मध्यप्रदेश, देश का पहला राज्य है।

84. भारत सरकार की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना के अनुक्रम में मध्यप्रदेश की शासकीय परिसंपत्तियों के समुचित प्रबंधन की दिशा में राज्य सरकार तेजी से कार्य कर

रही है। लोक परिसंपत्ति के प्रबंधन कार्य हेतु मध्यप्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कम्पनी का गठन किया गया है।

85. मेरी सरकार ई-गवर्नेंस एवं एम-गवर्नेंस के माध्यम से नागरिकों को त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण लोक सेवाएँ प्रदान कर रही हैं। प्रदेश में सभी नागरिकों का एकल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। एकल डेटाबेस से लाभ यह होगा कि शासकीय सेवाओं के प्रदाय में बार-बार नागरिकों के दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे, बल्कि डेटाबेस की जानकारी के आधार पर नागरिकों को सेवाएँ सिंगल क्लिक पर उपलब्ध होंगी। शासन के विभिन्न विभागों में ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के प्रभावी संचालन एवं डेटा के संधारण के लिए स्टेट डेटा सेंटर एवं स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क में अत्याधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है।

86. मध्यप्रदेश में राज्य सकल घरेलू उत्पाद के मापन, आय, कीमतों और व्यय का बेहतर अनुमान लगाने एवं डेटा प्रबंधन प्रणालियों के आधुनिकीकरण के साथ प्रदेश की सांख्यिकीय प्रणाली को मज़बूत बनाने के उद्देश्य से गठित विशेषज्ञ टास्क फोर्स द्वारा राज्य शासन को अपना प्रतिवेदन सौंप दिया गया है। प्रतिवेदन की अनुशंसाओं के आधार पर सांख्यिकीय तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे।

87. मेरी सरकार बेहतर कानून-व्यवस्था एवं प्रभावी अपराध नियंत्रण के लिए प्रतिबद्ध है। भोपाल एवं इन्दौर के नगरीय क्षेत्रों में पुलिस आयुक्त प्रणाली प्रारंभ की गई है। सभी प्रकार के माफिया के विरूद्ध अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही निरंतर जारी है। इस वर्ष 1 हजार 500 भू-माफिया एवं शासकीय भूमि पर अवैध कब्ज़ा करने वालों को चिन्हित किया जाकर उनके कब्ज़े से 14 हजार 786 एकड़ से अधिक शासकीय भूमि मुक्त कराई गई है। भू-माफिया के विरूद्ध अब तक कुल 539 अपराध पंजीबद्ध कर 145 आरोपियों के विरूद्ध रासुका और 483 के विरूद्ध जिला बदर की कार्रवाई की गई है। चिटफण्ड कंपनियों के 1 हजार से अधिक आरोपियों के विरूद्ध 317 अपराध पंजीबद्ध किए जा चुके हैं। सरकार के प्रयासों से अब तक 48 हजार 289 से अधिक निवेशकों को चिटफण्ड कंपनियों से 208 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वापस दिलाई जा चुकी है। विशेष अभियान चलाकर 13 हजार 100 से अधिक अवयस्क बेटे-बेटियों को वापस उनके परिवार तक पहुँचाया गया है।

88. मेरी सरकार ने कर्मचारियों को सदैव कर्मयोगी माना है और उनके कल्याण तथा मानव संसाधन प्रबंधन को बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए हैं। सरकारी भर्तियों की अपनी सीमाएँ हैं, लेकिन फिर भी सरकार ने इस कार्य में कोई

कसर नहीं छोड़ी है। नागरिकों को विभिन्न विभागों के अंतर्गत विभिन्न संवर्गों एवं सेवाओं में सरकारी भर्तियों के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बैकलॉग के पदों को भरने की कार्यवाही तेजी से की जा रही है। प्रदेश में 6 हजार पुलिस आरक्षकों की भर्ती प्रक्रियारत है।

89. माननीय प्रधानमंत्रीजी के सक्षम नेतृत्व में विगत लगभग साढ़े सात वर्ष में समय के साथ कदमताल कर व्यवस्थाओं में जो ऐतिहासिक, क्रांतिकारी और लोक–कल्याणकारी बदलाव किए गए हैं, उनकी वजह से भारत की प्रतिष्ठा और प्रज्ञा का परचम पूरे विश्व के सामने लहराया है।

90. **ऐसा चाहूं राज मैं, जहां मिले सबन को अन्न,**
छोट-बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न।।

मेरी सरकार जनता की उपासक है और संत शिरोमणि श्री रविदास जी की उपरोक्त पंक्तियों को चरितार्थ करते हुए जन-कल्याण, विकास एवं सुराज के लिए संकल्पित और प्रतिबद्ध है। चाहे कोरोना का संकट हो या फिर किसानों का– मेरी सरकार ने दिन-रात एक कर लोगों को संकट से उबारने का इंतजाम किया है। चाहे गरीबों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई, कमाई जैसी बुनियादी आवश्यकताएँ पूरी करनी हो या फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, घुमन्तु और अर्द्ध घुमन्तु जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अन्य

कमजोर वर्गों का कल्याण हो–मेरी सरकार ने सभी के समरस और समावेशी विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। चाहे उद्योगों और सड़कों का जाल बिछाना हो या फिर सबके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, रोज़गार का प्रबंध– मेरी सरकार ने सभी क्षेत्रों में जनता की जिन्दगी बदलने का काम किया है। सुशासन हमारा साधन है और सुराज हमारा साध्य। अगर मन में प्रदेश को आगे ले जाने की तड़प और जुनून हो, अगर निर्णयों में आगे की सोच और समझदारी हो, अगर इरादों में नेकी और ईमानदारी हो, अगर कामों में जनता की भागीदारी हो तो रामराज की परिकल्पना धरती पर उतरते देर नहीं लगती। इसी मंत्र व मिशन के साथ मेरी सरकार जन को केंद्र में रखकर कार्य कर रही है और इसके परिणाम धरातल पर दिखाई देने लगे हैं।

91. यह प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने का समय है। टीम मध्यप्रदेश बिना एक क्षण गंवाए, प्रदेश के विकास और उन्नति के लिए निरंतर कार्य कर रही है। गौरवशाली, वैभवशाली भारत के निर्माण में मध्यप्रदेश अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देगा। वह दिन दूर नहीं, जब मध्यप्रदेश को देश और दुनिया के सबसे विकसित एवं आत्म-निर्भर राज्य बनाने का सपना साकार होगा। मेरी सरकार एक–एक क्षण का सदुपयोग कर

प्रदेश के हर नागरिक के जीवन में समृद्धि, आनंद, खुशहाली और उन्नति का मार्ग निरंतर प्रशस्त करती रहेगी।

॥जय हिन्द – जय मध्यप्रदेश ॥

11.40 बजे (राज्यपाल महोदय ने चल समारोह के साथ सभा भवन से प्रस्थान किया.)

11.43 बजे **औचित्य के प्रश्न पर अध्यक्षीय व्यवस्था**

संसदीय कार्य मंत्री (डॉ.नरोत्तम मिश्र) -- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक पाइंट ऑफ इन्फॉरमेशन देना थी. आपसे एक प्रार्थना करनी थी. आपके माध्यम से एक दिशा भी चाहिए थी. सूचना यह थी और सभी सम्माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि उसको कांग्रेस या भाजपा की दृष्टि से न देखें. संयोग की बात है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष जी सर्वोच्च सदन में संसदीय कार्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहे हैं. उनके दल के एक विधायक श्री पटवारी जी ने ट्वीट करके महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहिर्गमन किया अथवा विरोध दर्ज किया. मेरी प्रार्थना सिर्फ इतनी-सी है कि यह परम्परा अगर शुरू हुई, राज्यपाल का एक गरिमामय स्थान है जिस तरह से जुलूस आता है आज का दिन यादों में रहता है अगर यह ट्वीट करने की परम्परा प्रारम्भ हुई तो क्या बहिर्गमन फिर आगे से मोबाइल पर ही होंगे, ट्वीटर पर ही होंगे ? इस पर मैं तो चाहूंगा कि नेता प्रतिपक्ष जी को इस बारे में कुछ न कुछ कहना ही चाहिए. मैंने इसीलिए उनसे प्रार्थना भी कि सदस्य अगर ट्वीट करके गवर्नर के एड्रेस का विरोध करता है एक संवैधानिक व्यवस्था है. माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन की अपनी एक गरिमा है और चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको ताकत तो आपसे मिलती है. आसंदी से जब ताकत मिलती है तो उसका विरोध करने का जो तरीका अख्तियार किया गया है.

अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूँ कि यह निंदनीय है. इसके ऊपर, नेता प्रतिपक्ष जी को, कि यह बात आगे बढ़े, उसके पहले स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए और आसंदी की व्यवस्था आनी ही चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है. आखिरी बात और यह है कि उन्होंने अभिभाषण का बहिष्कार किया तो अभिभाषण उन्हें मिला कहां से, प्राप्त कहां से हुआ, विरोध किया तो उन्हें मिला कहां

से और किस प्वॉइन्ट का उन्होंने विरोध किया. जो सार्थक बहस यहां पर होती है, पक्ष-विपक्ष की, उसकी भी एक मर्यादा, गरिमा होती है, यहां पर बोलते हैं, अभिभाषण के बीच में बोलते हैं, बाद में बोलते हैं, वह चल रहा है, लेकिन उन्होंने अभिभाषण प्राप्त कहां से किया, जिसका उन्होंने विरोध किया, जह जरूर चाहता हूँ.

नेता प्रतिपक्ष (श्री कमल नाथ) -- माननीय अध्यक्ष जी, मैं सहमत हूँ और मेरी पार्टी, मेरा दल भी सहमत है कि इस सदन की गरिमा बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है. यही परम्परा रही है, विधान सभा हो या लोकसभा हो या इस देश का जो भी सदन हो, यह परम्परा हमें बनाए रखना चाहिए और इसे मजबूती देनी चाहिए. हम सब इसमें भागीदार हैं. मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि यह हमारी पार्टी का फैसला नहीं था. ट्वीट की जानकारी तो अभी घण्टे भर पहले मुझे मिली, पर ऐसे ट्वीट से मैं भी सहमत नहीं हूँ, जिससे सदन की गरिमा प्रभावित हो. यह हमारी पार्टी का फैसला नहीं था, न अब था और न आगे भी रहेगा (मेजों की थपथपाहट).

श्री लक्ष्मण सिंह -- अध्यक्ष महोदय, एक मिनट...

अध्यक्ष महोदय -- नहीं, नहीं, अब तो आपके दल की तरफ से बात आ गई. सबसे पहले तो मैं हमारे संसदीय कार्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि बड़े गंभीर मुद्दे को आपने उठाया है और नेता प्रतिपक्ष जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि संसदीय मान्य परम्पराओं को खण्डित नहीं होने देना चाहिए, इसके लिए आपने भी अपनी प्रतिज्ञा को दोहराया है. उसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ (मेजों की थपथपाहट). दो बिंदु आए, एक बिंदु तो यह आया है कि माननीय राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण है, इसमें गर्वनर का विरोध कर रहे हैं या गर्वनर के अभिभाषण का विरोध कर रहे हैं. यदि विधान सभा के भीतर कोई नहीं आया तो उसको कैसे पता चला कि अभिभाषण के कौन से अंश विरोध करने लायक हैं और कौन से अंश विरोध नहीं करने लायक हैं. यह चिंता का विषय है. हम सबको मिलकर के

संसदीय गरिमा को, संसदीय परम्परा को बनाए रखने के लिए जो भी उचित कदम उठाने की जरूरत हो, सबको मिलकर उठाना चाहिए. वाकई में यह ठीक नहीं है, मैं ऐसा इस आसंदी से कह सकता हूँ. इस तरह की जो कार्यवाहियां हो रही हैं, वह ठीक नहीं हैं. ऐसी परम्पराएं इतिहास के लिए ठीक नहीं होगी. मैं यही कहना चाहता हूँ.

श्री लक्ष्मण सिंह -- अध्यक्ष महोदय, एक मिनट...

अध्यक्ष महोदय -- नहीं, अब हो गया, पटाक्षेप हो गया.

श्री लक्ष्मण सिंह -- अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, बहुत महत्वपूर्ण विषय है. मैं आपसे सहमत हूँ. मैं सत्ता पक्ष, विपक्ष, सबसे सहमत हूँ कि हमारी संसदीय परम्परा का सम्मान होना चाहिए. इसी परम्परा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ और सारे सदन से निवेदन करना चाहता हूँ कि बजट सत्र शुरू होने के पहले बजट समाचार-पत्रों में लीक कैसे हो जाता है ? दैनिक-भास्कर यह बता रहा है कि बजट में क्या होने वाला है, क्या यह संसदीय परम्परा है ? माननीय अध्यक्ष जी, इसमें भी आप शासन को निर्देशित करें कि बजट इस तरह समाचार-पत्रों में अगर सदन शुरू होने के पहले लीक किया जाएगा तो यह सबसे बड़ी अवमानना सदन की है और प्रजातंत्र की है. धन्यवाद.

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) -- माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं नेता प्रतिपक्ष, श्रीमान कमल नाथ जी ने जिस बड़े मन से एक गलत परम्परा का विरोध करते हुए सहमति जताई है, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ (मेजों की थपथपाहट). पक्ष हो, विपक्ष हो, संसदीय परम्पराओं का पालन करना हमारा धर्म है और मध्यप्रदेश की गौरवशाली परम्परा रही है, इसको उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है. जहां तक हमारे वरिष्ठ सदस्य माननीय लक्ष्मण सिंह जी ने जो बात कही है, अखबार अपने मन से कई बार गलत, कई बार अंदाज से, गलत-सही कुछ भी अनुमान लगाते रहते हैं और कुछ न कुछ अंदाज से भी लिखते

रहते हैं. उसको यह न माना जाए कि वह किसी ने जान के लीक किया है. यह तो सरकार की जवाबदारी है. अब इतना जरूर है, हम 'आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश' का रोडमैप बना रहे हैं, हम लोग कहते हैं कि हम इसको प्राथमिकता देंगे, उसको प्राथमिकता देंगे, तो उसमें कई बार अखबार कयास लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं. बजट गोपनीय है, गोपनीय ही रहेगा, माननीय सदन की किसी भी परम्परा का कभी भी उल्लंघन नहीं किया जाएगा, मैं आश्वस्त करता हूँ (मेजों की थपथपाहट).

श्री लक्ष्मण सिंह -- अध्यक्ष महोदय, उसमें भाव बढ़ने की बात भी कही गई है इसलिये मैंने कहा है. मैं आपको दिखा दूंगा. आप पत्रकारों पर थोड़ा नियंत्रण करें.

11.50 बजे **अध्यक्षीय व्यवस्था**

अध्यक्ष महोदय -- माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा अपने अभिभाषण के अधिकांश पैराग्राफ पढ़े गए हैं. शेष समस्त पैराग्राफ पढ़े हुए माने जाएंगे.

श्री एन.पी. प्रजापति -- अध्यक्ष महोदय, एक त्रुटि हो रही है, जो आपने कहा कि बाकी अंश पढ़े हुए माने जाएंगे, कुछ शब्द अस्पष्ट थे और कुछ आंकड़े भी ऐसे बोल दिए गए हैं उनको भी संशोधित करवा लें.

अध्यक्ष महोदय -- ठीक है, उनको संशोधित कर लिया जाएगा.

11.51 बजे **राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव**

डॉ. सीतासरन शर्मा (सदस्य)-- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि "राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया उसके लिए मध्यप्रदेश की विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यंत कृतज्ञ हैं."

श्री यशपाल सिंह सिसौदिया (सदस्य) -- अध्यक्ष महोदय, मैं, इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं.

अध्यक्ष महोदय -- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया उसके लिए मध्यप्रदेश की विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यंत कृतज्ञ हैं."

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिए मैं, दिनांक 08 एवं 10 मार्च, 2022 नियत करता हूं.

जो माननीय सदस्य कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में संशोधन देना चाहते हों, वे आज दिनांक 07 मार्च, 2022 को सायंकाल 5.00 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दे सकते हैं.

विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 08 मार्च, 2022 को प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है.

पूर्वाह्न 11.52 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 08 मार्च, 2022 (फाल्गुन 17,1943) के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की गई.

भोपाल

दिनांक : 07 मार्च, 2022

अवधेश प्रताप सिंह

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश विधान सभा